

प्रेषक

अरविन्द सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
30प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2016

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद उन्नाव में बिलग्राम-उन्नाव- इलाहाबाद मार्ग (राज्यमार्ग-38) के चैनेज 37.170 से 39.900 का चौड़ीकरण कार्य (चौराहे पर 120 मी0 लम्बाई छोड़ते हुये) (लम्बाई 2.610 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

गहोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, 30प्र0, लखनऊ के पत्रांक-987नि0/128-01नि0/2015-16, दिनांक 21-04-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल-जनपद उन्नाव में बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्यमार्ग-38) के चैनेज 37.170 से 39.900 का चौड़ीकरण कार्य (चौराहे पर 120 मी0 लम्बाई छोड़ते हुये) (लम्बाई 2.610 कि0मी0) की आंकलित लागत रु0 1191.00 लाख (रुपये ग्यारह करोड़ इक्यान्वे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रु0 357.00 लाख (रुपया तीन करोड़ सन्तावन लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

| क्र0 सं0 | जनपद   | कार्य का नाम                                                                                                                                                            | आंकलित लागत | वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन | अनुदान सं0-58 का अंश | अनुदान सं0-83 का अंश |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                                                       | 4           | 5                              | 6                    | 7                    |
| 1        | उन्नाव | जनपद उन्नाव में बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग (राज्यमार्ग-38) के चैनेज 37.170 से 39.900 का चौड़ीकरण कार्य (चौराहे पर 120 मी0 लम्बाई छोड़ते हुये) (लम्बाई 2.610 कि0मी0) | 1191.00     | 357.00                         | 281.00               | 76.00                |

- (1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।

- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ल जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति परिचय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ड्राफ्टर/पीओएलएओ में न रखी जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) प्रस्तावित कार्य की दिसवृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगमन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (10) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियों तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में माओ उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (11) कार्य की लागत में अधिमान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही नियमानुसार जमा की जायेगी।
- (12) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (13) मूल्य ह्रास निधि चार्जज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (14) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य-0306-राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण/चौड़ीकरण के नये कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं०-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/

सुदृढीकरण के नये कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 के प्रस्तर-2(2) तथा कार्यालय जाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय जाप सं0-3-1840/दस-2014-100(4)/2002-ब0मै0, दिनांक 01-10-2014 के प्राविधानों/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-853/दस/2016, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भयदीय,

(अरविन्द सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या- 200 (1)/23-11-2015-1/2(26)/2016 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम (निर्माण) 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल/जिलाधिकारी, उन्नाव।
- 3- मुख्य अभियन्ता (गु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 5- वित्त द्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, 30प्र0 शासन।
- 6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रयोष्ठ), 30प्र0 शासन।
- 7- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र0 शासन।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, 30प्र0 शासन।
- 10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, 30प्र, लखनऊ।
- 12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।